यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार, उत्तराखण्ड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार** के माह 09/2017 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक, श्री रवि शंकर एवं श्री अजय बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.11.2020 से 02.12.2020 तक श्री दानिश इकबाल,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार कार्यालय के साथ चार बाल विकास परियोजना कार्यालय, बहदराबाद-1, रुड़की- प्रथम, हरिद्वार शहर तथा भगवानपुर और संबन्धित 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा संपादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जितेन्द्र सिंह,वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 13.09.2017 से 23.09.2017 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 10/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-इकाई महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हरिद्वार का मूल कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित योजना को कार्याविन्त करना है जिससे की महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों के विकास को आवश्यक गति प्रदान किया जा सके। जनपद हरिद्वार में 11 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय 3056 आंगनवाड़ी केंद्र तथा 123 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कुल 3179 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत एवं संचालित है। जिसके माध्यम से योजनाओं का निष्पादन किया जाता है । महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हरिद्वार कार्यालय द्वारा राज्य पोषित 04 योजनाओं का तथा केंद्र पोषित 13 योजनाओं का संचालन/ निष्पादन किया जाता है।
3. **कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त हरिद्वार जनपद है।**

(ii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू में)

वर्ष	समेकित बजट					
	प्रा0अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	समर्पण	अंतिम अवशेष
2017-18	0	823.63	202.74	620.89	619.01	1.88
2018-19	1.88	1322.96	251.07	1073.78	1022.86	50.92
2019-20	50.92	2334.99	1992.97	426.01	415.39	10.62
2020 -21	10.62	222.93	64.12	184.32		

नोट: बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के बजट पृथक से संलग्न।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार।

वर्ष	अधिष्ठान का समेकित बजट					
	प्रा0अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	समर्पण	अंतिम अवशेष
2017-18	0	30.98	26.18	4.8	4.8	
2018-19	0	39.6	33.47	6.14	6.14	
2019-20	0	5.91	36.47[1]	2.51[2]	2.51	
2020 -21	0	1.33	15.94	0.28[3]	0.28	

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का बजट विवरण					
	प्रा0अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	समर्पण	अंतिम अवशेष
2017-18	0	563.13	4.10	559.03	559.03	0
2018-19	0	1086.9	78.92	1007.98	1000.48	7.5
2019-20	7.5	1529.42	1156.37	380.55	374.05	6.5
2020 -21	6.5	190.9	30.9	166.5		

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का बजट विवरण					
	प्रा0अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	समर्पण	अंतिम अवशेष
2017-18	0	229.52	172.46	57.06	55.18	1.88
2018-19	1.88	196.46	138.68	59.66	16.24	43.42
2019-20	43.42	799.66	800.13	42.95	38.83	4.12
2020 -21	4.12	30.7	17.28	17.54		

[1]W.e.f. 2019-20 , salary of the employees is transferred directly into employees bank account from treasury (Global Budget) and is not reflected in allotment but is being reflected in Expenditure (BM-4) hence the expenditure is more than the Allotment.

[2]इस प्रकार वर्ष 2019-20 मे रू. 36.47 लाख मे ग्लोबल बजट के रू. 33.07 सम्मलित है। अत 5.91+33.07=38.98-36.47=2.51.

[3]इसी तरह वर्ष 2020-21 मेरू. 15.94 लाख मे ग्लोबल बजट के रू. 14.89 सम्मलित है। अत 1.33+14.89 =16.22-15.94=0.28.

बाल विकास परियोजना अधिकारी, हरिद्वार शहर।

अधिष्ठान बजट

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	278.36	274.62	3.74	3.74
2018-19	0	315.78	292.76	23.02	23.02
2019-20	0	347.11	319.33[4]	92.35	92.35
2020-21	0	286.40	286.69[5]	45.02	45.02

राज्य सरकार पुरोनिधनित योजनाओं के अंतर्गत बजट विवरण।

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	0	0	0	0
2018-19	0	0.85	0.85	0	0
2019-20	0	29.99	29.99	0	0
2020-21	0	0	0	0	0

केंद्र सरकार पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत बजट विवरण

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	260	260	0	0
2018-19	0	269.9	269.09	0.81	0
2019-20	0.81	281.86	273.37	9.3	0
2020-21	9.3	14.59	2.46	21.43	

[4]-वर्ष 2019-2 मे व्यय मे रू 319.33 मे रू 64.57 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (347.11+64.57 =411.68-319.33=92.35)

[5] वर्ष 2020-21 मे व्यय मे रू 286.69 मे रू 45.31 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (286.40+45.31 =331.71-286.69=45.02)

बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की प्रथम(ग्रामीण)

अधिष्ठान बजट

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	223.25	222.08	1.17	1.17
2018-19	0	258.48	245.1	13.38	13.38
2019-20	0.00	226.87	331.20[6]	0.47	0.47
2020-21	0.00	128.57	197.04[7]	1.22	1.22

राज्य सरकार पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत बजट विवरण

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	0	0	0	0.00
2018-19	0	46.61	46.61	0	0.00
2019-20	0	34.18	34.18	0	0.00
2020-21	0	0	0	0	0.00

केंद्र सरकार पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत बजट विवरण

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	1709.87	1330.98	378.88	378.88
2018-19	0	726.24	635.96	90.28	90.28
2019-20	0	978.22	953.13	25.09	25.09
2020-21	0	477.16	391.86	85.30	85.30

[6]. **वर्ष 2019-20 मे व्यय मे रू 331.20 मे रू 104.80 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (226.87+104.80=331.67-331.20=0.47)**

[7]. **वर्ष 2020-21 मे व्यय मे रू 197.04 मे रू 69.68 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (128.57+69.69=198.26-197.04=1.22)**

बाल विकास परियोजना अधिकारी बहदराबाद (प्रथम)

अधिष्ठानका समेकित बजट

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष
2017&18	1323.71	1187.15	136.56	136.56
2018 19	1469.35	1405.56	63.8	63.8
2019 20	446.96	534.86[8]	28.76	28.76
2020 21	278.59	338.84[9]	8.67	8.67

राज्यसरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओ का बजट विवरण				
वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष
2017&18	0	0	0	0
2018 19	0	0	0	0
2019 20	121.6	115.98	5.62	5.62
2020 21	0	0	0	

केंद्रसरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओ का विवरण				
वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष
2017&18	570.95	467.85	103.1	103.1
2018 19	571.86	571.52	0.34	0.34
2019 20	641.06	611.3	29.76	29.76
2020 21	1	1	0	0

[8]. **वर्ष 2019-20 मे व्यय मे रू 534.86 मे रू 116.66 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (116.66+446.96=563.62-534.86=28.76)**

[9]. **वर्ष 2020-21 मे व्यय मे रू 338.84 मे रू 68.92 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (287.59+68.92=347.51-338.84=8.67)**

बाल विकास परियोजना अधिकारी भगवानपुर

अधिष्ठान बजट का समेकित बजट।

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	279.93	275.85	4.08	4.08
2018-19	0	294.12	288.27	5.85	5.85
2019-20	0	232.95	294.48[10]	28.41	28.41
2020-21	0	132.96	179.37[11]	5.65	5.65

राज्यसरकार पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत बजट विवरण

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	0	0	0	0
2018-19	0	2.95	2.95	0	0
2019-20	0	82.55	82.55	0	0
2020-21	0	0	0	0	0

केंद्रसरकार पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत बजट विवरण

वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अंतिम अवशेष	समर्पण
2017-18	0	1594.71	1391.28	203.43	203.43
2018-19	0	903.94	782.76	121.18	121.18
2019-20	0	1081.24	920.89	160.35	160.35
2020-21	0	514.98	488.28	26.7	26.7

इकाई को बजट आवंटन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

(ii)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1) सचिव
2) अपर सचिव
3) निदेशक
4) कार्यक्रम अधिकारी

---

10. **वर्ष 2019-20 मे व्यय मे रू 294.48 मे रू 89.28 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (89.93+232.95=322.89-294.48=28.41)**

11. **वर्ष 2020-21 मे व्यय मे रू 179.37 मे रू 52.06 सम्मलित है जो कि ग्लोबल बजट से कार्मिको का वेतन है। (132.96+52.06=185.02-179.37=5.65)**

5) जिला कार्यक्रम अधिकारी

6) बाल विकास परियोजना अधिकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार कोआच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।व्यय की लेखापरीक्षा हेतु अधिकतम व्यय के आधार पर माह 03/2018 व 03/2020 को तथा प्राप्ति की लेखापरीक्षा हेतु माह 01/2018 एवं 02/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II `अ`

प्रस्तर:01- विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण योजना पर भारत सरकार द्वारा जारी शर्तो एवं प्रतिबंधों के विपरीत रुपए 1366.04 लाख की धनराशि का व्यय किया जाना तथा उक्त राशि के व्यय के बाद भी निर्माण कार्य का अपूर्ण रहना तथा रुपए 893.96 लाख का विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से अनुपयोगी रहना,अर्जित ब्याज रुपए 93.52 लाख की धनराशि समर्पित नहीं किया जाना तथा आंगनवाड़ी केन्द्रो के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना एवं किराये के रूप मे रुपए 252.17 लाख के भुगतान के कारण शासकीय धन का अपव्यय।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार मे 11 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय 3056 आंगनवाड़ी केंद्र तथा 123 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कुल 3179 आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत एवंसभी केंद्र संचालित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत 3179 आंगनवाड़ी केन्द्रो के सापेक्ष 932 आंगनवाड़ी केंद्र विभागीय अथवा शासकीय भवन मे, 548 आंगनवाड़ी केंद्र अन्य शासकीय भवन (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन आदि) तथा 1699 आंगनवाड़ी केंद्र किराये के भवन मे संचालित हो रहा था।भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 मे उत्तराखण्ड राज्य हेतु 1450 आंगनवाड़ी केन्द्रो के नवनिर्माण एवं 113 आंगनवाड़ी केन्द्रो के उच्चीकारण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमे रुपए 4.50 लाख प्रति आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण तथा उच्चीकारण हेतु रुपए 1.00 लाख प्रति आंगनवाड़ी केंद्र दर निर्धारित थी। उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए (16.02.2015) राजयांश रुपए 1659.50 तथा केंद्रान्श रुपए 4978.50 कुल रुपए 6638.00 लाख की धनराशि निर्गत किया गया था, जिसके क्रम मे जनपाद हरिद्वार मे 500 आंगनवाड़ी केन्द्रो के निर्माण एवं 10 आंगनवाड़ी केन्द्रो के उच्चीकारण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा 500 नए आगंबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 2250.00 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 10 लाख कुल रुपए 2260.00 लाख की धनराशि दो किस्तों में, (रुपए 1585.00 लाख एवं रुपए 675.00 लाख कुल रुपए 2260.00 लाख का बजट आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था) अवमुक्त हुई थी, (फरवरी 2015)। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध मे भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.2.2016 को जारी नवीन दिशा निर्देश अनुसार आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की लागत संशोधित करते हुए रुपए 4.50 लाख के स्थान पर रुपए 7.00 लाख करते हुए निर्देशित किया गया कि एक केंद्र के निर्माण पर विभाग द्वारा मात्र रुपए 2.00 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी और शेष राशि रुपए 5.00 लाख मनरेगा से व्यय की जायेगी, और दोनों विभागो मे समन्वय स्थापित करना होगा,भारत सरकार के संशोधित दिशा निर्देशा अनुसार प्रश्नगत आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण की अवधि मात्र 11 माह थी। प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु विकास खण्डों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे (नवम्बर 2020) यह तथ्य प्रकाश मे आया कि भारत सरकार के नए दिशा निर्देश के क्रम मे विभाग को 500 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 2 लाख की दर से रुपए 1000.00 लाख राशि की आवश्यकता थी उसके अतिरिक्त राशि 1250.00 लाख विभाग/शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु इकाई ने समस्त राशि अपने पास ही रखा। आगे जांच मे पाया गया कि जनपद हरिद्वार मे उक्त योजना मे धनराशि प्राप्ति के पाँच वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद तथा भारत सरकार द्वारा जारी शर्तो एवं प्रतिबंधों के विपरीत एवं बिना भारत सरकार की अनुमाती /सूचित किए रुपए 1366.04 लाख की धनराशि व्यय करते हुए संप्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2020) तक मात्र 171 आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण पूर्ण होना दर्शाया गया था शेष 329 आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण, निर्माणाधीन था तथा एक भी आंगनवाड़ी केंद्र के उच्चीकारण का कार्य संपादित नहीं किया गया था जबकि आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण, स्वीकृति के 11 माह मे पूर्ण किया

जाना था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना आगंबाड़ी केन्द्रों का निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि रुपए 2260.00 लाख की धनराशि के उपयोग मे न केवल उदासीनता बरती गयी अपितु रुपए 893.96 लाख की धनराशि इकाई के बैंक खाते मे अवरुद्ध / अनुपयोगी पड़ी हुई थी, जिस पर रुपए 93.52 ब्याज अर्जित हुआ था जो इकाई के बैंक खाते मे अवरुद्ध था, जिसे नियमतः समर्पित किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण योजना पर भारत सरकार द्वारा जारी शर्तो एवं प्रतिबंधों के विपरीत रुपए 1366.04 लाख की धनराशि व्यय किया गया और उक्त राशि के बाद भी निर्माण कार्य का अपूर्ण था तथा रुपए 893.96लाख की धनराशि विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से अनुपयोगी थी और आंगनवाड़ी केन्द्रो के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त थी एवं किराये के भुगतान के कारण शासकीय धन का अपव्यय हो रहा था। सरकार को अनावश्यक रूप से किराए के रूप मे अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा जो कि सरकार की प्रत्यक्ष रूप से हानि थी। जनपद हरिद्वार मे 1699 आंगनवाड़ी केंद्र किराये के भवन मे संचालित थी जिसके कारण शासन को अनावश्यक रूप से वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा था। मात्र चार बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा और केवल विगत तीन वर्षो मे रुपए 252.17 लाख की धनराशि किराये के रूप मे भुगतान किया गया था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि प्राप्त राशि के सापेक्ष 500 आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कराया जा रहा जिसमे 214 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 286 केन्द्रो का निर्माण कार्य गतिमान है। इकाई का उत्तर अवास्तविक था क्योंकि इकाई द्वारा मात्र दो दिन पूर्व दिनांक 23.11.2020 को प्रेषित आख्या मे 171 आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य पूर्ण होना तथा 329 केन्द्रो का निर्माण कार्य गति मान होना बताया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के विपरीत 2 लाख के स्थान पर 4.50 लाख व्यय का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था पूछे जाने पर इकाई ने बताया कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित कमेटी द्वारा लिया गया। इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि इकाई ने भारत सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था, भारत सरकार के दिशानिर्देश के इतर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी मे निहित नहीं था। अन्य बिन्दुओं पर इकाई का उत्तर मान्य एवं संतोषजनक नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा 500 आंगनवाड़ी केन्द्रो के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2014-15 मे प्राप्त हुई थी तथा उक्त स्वीकृति के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण 11 माह मे पूर्ण किया जाना था तथा इकाई द्वारा धनराशि के उपयोग मे तथा आंगनवाड़ी के निर्माण मे न केवल शीथिलता बरती गयी अपितु धनराशि के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया और भारत सरकार को तथ्यों से भी अवगत नहीं कराया गया और न ही निर्धारित दर से अधिक धनराशि व्यय करने हेतु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की गयी।

अतएव विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण योजना पर भारत सरकार द्वारा जारी शर्तो एवं प्रतिबंधों के विपरीत रुपए 1366.04 लाख की धनराशि का व्यय किए जाने और पाँच वर्ष से अधिक का समय बीतने के बाद भी निर्माण कार्य का अपूर्ण रहने तथा रुपए 893.96 लाख का विगत पाँच वर्षो से अधिक समय से अनुपयोगी रहने एवं आंगनवाड़ी केन्द्रो के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहने तथा जनपद हरिद्वार के मात्र चार बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा विगत तीन वर्षो मे रुपए 252.17 लाख की धनराशि किराये के रूप मे भुगतान करने के कारण शासकीय धन के अपव्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

<u>प्रस्तरः01-</u> प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रु. 4.88 लाख का अवैध भुगतानतथा लंबित भुगतान के कारण लाभार्थियों को रू 9.90 लाख के लाभ से वंचित रखना।

जिला परियोजना अधिकारी,बाल विकास विभाग, हरिद्वारके अंतर्गत दो परियोजनयो नामतः- बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर एवंबाल विकास परियोजना अधिकारी, बहदराबाद,के प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवेदन पत्रो की नमूना जांच मे निन्म्लिखित त्रुटिया पायी गयी ।

क.1. दिशा निर्देशिका के बिन्दु 2.1.1 के अनुसारमजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके

आवेदन पत्रो की नमूना जांच मे पाया गया कि योजना के तहत लाभार्थी के रोजगार से संबन्धित कोई सूचना आवेदन पत्र पर उपलब्ध नहीं थी अर्थात लाभार्थी क्या कार्य कर रहा था ज्ञात नहीं हो रहा था जिससे कि लाभार्थी को गर्भवस्था के दौरान कितनी कार्य (मजदूरी) की क्षति हुई है इसका पता नहीं चल रहा था।

2. बिन्दु 2.2.1 के अनुसार ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमो के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है,

आवेदन पत्र मे उपरोक्त स्थिति के आवेदन कर्ता हस्ताक्षर के अलावा उसके पति के हस्ताक्षर भी आवश्यक थे।

आवेदन पत्रो की नमूना जांच मे पाया गया कि योजना के तहत **8 से 10** मामले में आवेदन पत्र पर न तो लाभार्थी केहस्ताक्षर थे और न ही उस के पति के हस्ताक्षर थे । जो योजना के नियमो के अनुकुल नहीं है ।

3. योजना का आरंभ 01-01-2017 से हुआ था । योजना के अनुसार 01-01-2017 के पश्चात ही गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ मिलना चाहिए था।

आवेदन पत्रो की नमूना जांच मे पाया गया कि योजना से पूर्व गर्भवती हो गयी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। जांच में पाया गया की बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुरमें **32** मामले,बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहदराबाद में **04** मामले ऐसे थे, जिनहे योजना से पूर्व का लाभ प्रदान किया गया जो कि योजना के अनुकूल नही था।

4. योजना के तहत योजना का लाभ प्रथम बच्चे के जन्म पर ही दिये जाने का प्रावधान था, परन्तु जांच में पाया गया की बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुरमें **05** मामले एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहदराबाद में **08** मामलेऐसे थे, जिनहे द्वितीय बच्चे के जन्म होने के उपरान्त भी योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया था। परियोजना में लाभार्थी ऐसे थे, जिनको द्वितीय बच्चे के जन्म पर भी योजना का लाभ प्रदान किया गया।

5. एल0एम0पी0 कार्ड इस योजना का एक अभिन्न अंग है जिसके माध्यम से लाभार्थी के अंतिम मासिक धर्म तथा जच्चे बच्चे की जांच के अभिलेख अपलब्ध होते है। तथा इन अभिलेखों के आधार पर ही लाभार्थी को प्रथम बच्चे के जन्म पर ही लाभार्थी को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

आगे जांच में पाया गया कि जिला परियोजना अधिकारी,बाल विकास विभाग, हरिद्वारके अंतर्गत दो परियोजनयो नामतः- बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर एवं बाल विकास परियोजना

अधिकारी, बहदराबाद, के **46**आवेदन पत्रों पर एल0एम0पी0/एम0सी0पी0 कार्ड संलगन नही था। बिनाएल0एम0पी0 कार्ड के लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाना योजना के अनुकूल नही था ।

6. आगे जांच में पाया गया कि समस्त **110** एल0एम0पी0/एम0सी0पी0 कार्ड पर न तो ए0एन0एम0 के हस्ताक्षर थे ओर न ही सी0एम0ओ0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था। ऐसी स्थिति में एल0एम0पी0 कार्ड की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता को संदेहास्पद दर्शाता है ।

7. आगे जांच में पाया गया कि एल0एम0पी0 कार्ड की गर्भवस्था का विवरण में चौथी पंक्ति पर कुल गर्भ/ पहले बच्चे जीवित बच्चे की संख्या पर काँटछाँट एवं Over Hand writing होने के कारण एल0एम0पी0/एम0सी0पी0 कार्ड में दर्ज सूचना की विश्वसनीयता को संदेहास्पद दर्शाता है। नमूना जांच में ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या **14** पायी गयी है।

8. नमूना जांच में पाया गया कि अधिकांश आवेदन पत्र अधूरे भरे गए थे, तथा **15** आवेदन पत्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सुपरबाइजर के हस्ताक्षर उपलब्ध नही थे।

इंगित किए जाने पर विभाग ने बिन्दु -3 के परिपेक्ष में अपने उत्तर में कहा कि उपरोक्त बिन्दु को संज्ञान में लिया जाएगा तथा आवेदन पत्रो की जांच कर लेखपरीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा । बाकी बिन्दुओ के उत्तर पर इकाई द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर दोषारोपण कर दिया गया ।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि एल0एम0पी0/एम0सी0पी0 कार्ड की जांच विभाग के द्वारा होना अपरिहार्य था तथा उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की प्रशगत योजना से संबन्धित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा लाभार्थियो के चयन त्रुटियों के साथ साथ **103** अपात्र लाभार्थियों को**रु. 4.88** लाख का अवैध लाभ दिया गया

ख. विभागीय उदासीनता एवं योजना के असफल क्रियान्वयन फलसरूपप्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत लंबित भुगतान की कारणलाभार्थियों को रू 9.90 लाख के लाभ से से वंचित रखना ।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक **करैक़शन क्यू**[12] में **98** लाभार्थियों के लंबित पड़े हुए थे। जिसके फलसरूप98 लाभार्थियों रु.9,90,000/- के लाभ से बंछित रहे।

इकाई द्वारा प्रस्तुत किए तथ्य एवं आंकड़े स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करते है

अतः - प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रु. 4.88 लाख का अवैध भुगतान तथा लंबित भुगतान की कारण लाभार्थियों को रू 9.90 लाख के लाभ से वंचित रखने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

[12]करैक़शन क्यू पंजीकृत लाभार्थियों की सूची है, जिनका बैंक खाता संख्या या फिर आधार संख्या त्रुटिपूर्ण होने के कारण योजना का लभ का भुगतान नही हो पाया है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर सं 2- राज्य सरकार सहायतित मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के तहत रु.6.50 लाख का उपयोग न कर विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शिथिलतातथा योजना के उद्देश्यो की पूर्तिका पूर्ण न होना।

उत्तराखंड राज्य सरकार सहायतित मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना वर्ष 2014-15 सेप्रारम्भ है । इस योजना का मूल उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करेने के उद्देश्य से निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है ।

मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना में माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्तउद्देश्यों की पूर्ति भी की जायेगी:-

1. निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना।
2. निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का आधार प्रदान करना।
3. महिला विशिष्ट अवसंरचना की स्थापना करना।
4. समस्त निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्वांलंबन की ओर अग्रसर करना।
5. महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में सम्मान जनक जीवन व्यतीत करने हेतु स्थायित्व प्रदान करना।

योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का स्वरूप निम्नवत होगा:-राज्य में उक्त योजना के प्रथम चरण में 1500 निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को उनकी आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण एवं उधमता विकास संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कराया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उक्त लाभार्थीयों को रु 1000.00 की धनराशि स्टाइपन के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षणोंप्रांत लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के अनुसार परिसम्पतियों की पूर्ति योजना के अंतर्गत कारवाई जायेगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबन को ओर अग्रसर किए जाने हेतु अधिकतम रु 50.000 /- की धनराशि ही सहयोग राशि के रूप में अनुमान्य होगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्ते निम्न प्रकार होगी:-

1. लाभार्थी निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग से होनी चाहिए।
2. लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
3. लाभार्थी उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
4. लाभार्थी किसी अन्य योजना से समान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।

योजना का लाभ दिये जाने की प्रक्रिया- राज्य के समस्त जनपदों में उक्त योजना के तहत निराश्रित विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी या क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों की सूची को प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजनाके अंतर्गत नवाचार परियोजना “सखी महिला ई-रीक्शा” चलायी जानी थी । राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, महिला सशक्तिकरणएवं बाल विकास विभाग , उत्तराखंड के पत्र संख्या 291/204/UWCDS2017-18 दिनांक 23/07/2018 के अनुसार “सखी महिला ई-रिक्शा” का सभी जिलो में आरंभ किया जाना था। जिस के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास

विभाग, हरिद्वार को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी या क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निराश्रित विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं का चयन करना था। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग, हरिद्वार ने 03-08-2018 के दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति निकली की यदि किसी निराश्रित विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिला को "सखी ई-रिक्शा" की आवश्यकता है तो निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 14/08/2018 तक इस कार्यालय में जमा कराये जा सकते है । जिस के सापेक्ष कुल 18 फार्म जिला कार्यक्रम कार्यालय को प्राप्त हुए । जिस में से 03 प्रस्ताव आयु मानक से अधिक होने के कारण निरस्त कर दिये गए तथा 15 प्रस्ताव बजट आवंटन हेतु शासन को प्रेषित कर दिये गए ।

शासन द्वारा पत्र संख्या 328/204/UWCDS/2018-19 दिनांक 10/10/2018 के माध्यम से 15 लाभार्थियों को रू॰50000 की दर से रू॰750000 की धनराशि आवंटित कर दी गयी । आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा 02 लाभार्थियों को रू॰100000 की धनराशि दिनांक 20-07-2019 को आवंटित कर दी गयी

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग, हरिद्वार द्वारा योजना के तहत न तो किसी निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को उनकी आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण एवं उधमता विकास संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित दिया गया और न ही प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मिलने वाली रु 1000.00 की धनराशि स्टाइपन के रूप में उपलब्ध कराई गयी और न ही प्रशिक्षणोंप्रांत लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के अनुसार परिसम्पतियों की पूर्ति योजना के अंतर्गत कारवाई गयी । जांच में आगे पाया गया की 15 लाभार्थीयों के सापेक्ष 02 लाभार्थियों को रू॰50 हज़ार प्रति लाभार्थी की दर से रू॰1॰00 लाख की धनराशि दिनांक 20-07-2019 को आवंटित कर दी गयी। जिस के फलस्वरूप रू॰6.50 लाख की धनराशि इकाई में अवरुद्ध पड़ी हुई थी ।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्य एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में कहा कि इकाई द्वारा 15 लाभार्थियो का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा गया था जिस के सापेक्ष रू॰50 हज़ार प्रति लाभार्थी की दर से रू॰7॰5 लाख की धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ जिस के सापेक्ष 02 ही पात्र महिलाओं को लाभ दिया गया। इस प्रकार रू॰6॰81 लाख (अवशेष धनराशि रू॰6॰50 लाख की तथा रू॰31 हज़ार व्याज की धनराशि) इकाई के पास अवशेष है । आगे उत्तर में कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि से लाभ दिये जाने के लिए प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ कर लाभ दिया जा सकता है । स्टाफ के कमी के कारण एवं योजनाओं कि अधिकता के कारण योजनाओं के कार्यान्वयनमें विलम्ब हो रहा है । जिस के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रु.6.81का उपयोग न कर विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता तथा योजना के उद्देश्यो की पूर्ति का पूर्ण न होनेका प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग दो-"ब"

प्रस्तर सं0-03 धनराशि रु 4.70 लाख के आधार नामांकन किट का अनुपयोगी रहना।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में परियोजनाओं हेतु आधार नामांकन किट (डेस्कटॉप/लैपटॉप कम्प्युटर,टैबलेट, स्कैनर, प्रिन्टर, फिंगर स्केनर, आइरिस स्केनर तथा जी0पी0एस0 डिवाइस) क्रय हेतु उत्तराखंड शासन के पत्र मार्च 2018 के माध्यम से रु 472.50 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आधार पंजीकरण किट क्रय हेतु शासन नवम्बर 2018 में दिये गए निर्देशों के क्रम में निदेशालय द्वारा मार्च 2019 के द्वारा 13 जनपदों में संचालित 105 बाल विकास परियोजनाओं हेतु आधार पंजीकरण किट लैपटॉप एवं आधार पंजीकरण किट डेस्कटॉप सहित की आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया था।

लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार कार्यालय के साथचार बाल विकास परियोजनाओं (बाल विकास परियोजनाअधिकारी,हरिद्वार-शहर,बाल विकास परियोजना अधिकारी,बहदराबाद-1, बाल विकास परियोजना अधिकारी,भगवानपुर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी,रुड़की-ग्रामीण) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ एवं आधार नामांकन किट से संबन्धित अभिलेख एवं स्टॉक रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त 04 बाल विकास परियोजनाओं में से 01 बाल विकास परियोजना में आधार किट को Install कर दिया गया है परन्तु टेक्निकल ऑपरेटर न होने के कारण अनुपयोगी पड़ी हुए थी। 03 परियोजनाओं में किट अनुपयोगी पड़ी हुई थी। इस प्रकार डेढ़ वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी आधार नामांकन किट का उपयोग नही किया जा रहा था। जिनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आधार नामांकन किट प्राप्त करने की तिथि	किट का मूल्य	वर्तमान स्थिति
01	बाल विकास परियोजना अधिकारी हरिद्वार- शहर	09.04.2019	1,17,410.00	अनुपयोगी
02	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर	11.04.2019	1,17,410.00	अनुपयोगी
03	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहादराबाद -01	04.05.2019	1,17,410.00	अनुपयोगी
04	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की-प्रथम	04.04.2019	1,17,410.00	अनुपयोगी
योग			4,69,640.00	

उपरोक्त तालिका से सपष्ट था कि किट को प्राप्ति कि तिथि से उपयोग नही किया जा रहा था। इस प्रकार डेढ़ वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी आधार नामांकन किट का संचालन नही किया जा रहा था और जिस उद्देश्य कि प्राप्ति के लिए आधार नामांकन किट को इकाई में प्राप्त किया गया था उस उद्देश्य कि पूर्ति भी नही हो रही थी। अतः रु 4.70 लाख व्यय के उपरांत चारों इकाइयों में लेखापरीक्षा तिथि तक आधार नामांकन किट अनुपयोगी अवस्था में थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाइयों ने प्रतिउत्तर में बताया कि टेक्निकल ऑपरेटर न होने के कारण वर्तमान तक आधार नामांकन किट को संचालित नही किया जा रहा था। उत्तर मान्य नही था क्योकि टेक्निकल ऑपरेटर कि व्यवस्था होने पर ही किट को प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि रु 4.70 लाख के व्यय के उपरांत भी आधार नामांकन किट का संचालन नही किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः-4 परियोजनाओं में खाद्य सामग्री उर्जा को नियम के विपरीत 3 माह से अधिक तक खिलाना।

निदेशक, आई.सी.डी.एस उत्तराखण्ड़, देहरादून, महिला सशक्तिकरण बाल विकास, अनुभाग, दिनांक 12.01.2017 के क्रम में राज्य के समस्त अतिकुपोषित बच्चों को ऊर्जा (RUTF) देकर, उनकेअतिकुपोषणकोदूरकरनाहै।यहस्थानीयखाद्यानोंपरआधारितहै।माहदिसम्बर 2016 मेंप्रयोगकेतौरपरजनपद-देहरादूनकेअतिकुपोषितबच्चोंको RUTF तैयार कर खिलाया गयाष जिसमें 10 अतिकुपोषित बच्चों को अध्ययन के तौर पर खिलाया गया। बच्चों के वजन में एक माह में 300-400 ग्राम की वृद्धि दर्ज की गयी।

अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में आने के दो महा बाद तक उर्जा खिलाया जाना है

जनपद में ऊर्जा तैयार करने हेतु स्वयम सहायता समूह का चयन जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा। ऊर्जा तैयार करने व परियोजना कार्यालय तक पहुचाने व आंगनवाडी केंद्र तक वितरण व लाभार्थी को खिलाने तक पर सम्पूर्ण निगरानी व अनुश्रवण की जिम्मेदारी जिला स्तरीय निगरानी समिति की होगी।

ऊर्जा खाद्यान सामग्री की आंगनवाडी केंद्र पर वितरीत किया जाएगा। यह पूर्व में आवंटित किए जानेवाले THR से अतिरिक्त होगा। प्रथम चरण में अतिकुपोषित बच्चों को खिलायी जायेगी।

इस संबंध में राज्य के कुल 2538 आई कुपोषित बच्चों के लिए ऊर्जा 03 माह जनवरी, 2017 से महा मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव हेतु धनराशि रू 22,11,958.25 मानक मद 42-अन्य व्यय से वहन किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, हरिद्वार ऊर्जा से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं को ऊर्जा से संबन्धित 3 महा से अधिक का भुगतान किया गया था, जिससे स्पष्ट है परियोजनाओं में नियमानुसार 3 माह तक ऊर्जा न खिलाकर 3 माह से अधिक समय तक ऊर्जा खिलाया जा रहा था जो कि शासन के निर्देशों के विपरीथ है कुछ परियोजनाओ में माह से अधिक समय तक ऊर्जा खिलाने का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	सीडीपीओ	अवधि	माह	व्यय रू
1.	लक्सर	08/2019 से 11/2019	4	4,96,816/-
2.	रूडकी शहर	04/2019 से 10/2019	7	68,981/-
3.	रूडकी II	09/2018से 01/2019	5	1,40,784/-
4.	खानपुर	04/2019 से 11/2019	8	4,98,037/-
5.	नारसन	04/2019 से 07/2019	4	8,48,848/-
6.	मंगलोर	09/2019 से 12/2019	4	2,25,475/-
7.	भगवानपुर	08/2019 से 02/2020	7	7,75,689/-

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि परियोजनाओ में तीन माहों से अधिक ऊर्जा खिलाया जा रहा था। पहले माह खिलाने के बाद जिला निगरानी द्वारा अनुश्रवण किया जाना चाहिए था कि कितने बच्चे

कुपोषण से मुक्त होकर सामान्य श्रेणी में आ गए है और कितने बच्चो को अभी और ऊर्जा खिलाने की आवश्यकता है। केवल सामान्य श्रेणी में आए बच्चों को ही अगले 2 माह तक ऊर्जा खिलाने की आवश्यकता थी। परंतु अभिलेखों में पाया गया कि परियोजनाओ में 4 से लेकर 8 माह तक ऊर्जा खिलाया जा रहा था और न ही इस संबंध में जिला निगरानी समिति द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गयी थी कि कितने बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए थे और कितने बच्चो को 3 महा से अधिक ऊर्जा खिलाने कि आवश्यकता थी। यह जिला निगरान समिति तथा इकाई की उदासीनती को प्रकट करता है, जिससे अनावश्यक व्यय भी हो रहा है और न ही कोई इस तरह की रिपोर्ट इकाई द्वारा तैयार की गयी थी, जिससे यह पता चल सके कि कितने बच्चो को ऊर्जा खिलाने से लाभ हुआ था और वे सामान्य श्रेणी में आ गए और उन्हे ऊर्जा खिलाने की आवश्यता नही थी। यह योजना के निर्देशों के विपरीत है और इससे योजना का उद्देश्य भी पूरी नही हो रहा था।

इकाई को इस विषय में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि परियोजना से जनपद को ऊर्जा सामग्री की माँग का भुगतान कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों की ही भेजी जाती है जिसके अनुसार कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों का ही भुगतान किया जाता है। सामान्य श्रेणी का कोई भी विवरण नही दिया जाता है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई स्तर पर गठित जिला निगरानी समिति, समुचित निगरानी व अनुश्रवण करने में असफल रही है, जिससे यह ज्ञात नही हो सका है पहले माह तक ऊर्जा खिलाने के पश्चात कितने बच्चे सामान्य स्तर पर आये और कितने नही, और कितने बच्चों को सामान्य स्तर पर आने के बाद आगे केवल 2 माह तक ऊर्जा खिलाना था, जिससे अनावश्यक व्यय से भी बचा जा सकता था। इससे योजने के उद्देश्यों की पूर्ति नही हो रही थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर सं 5- रोकड़ वही में रु॰ 6.58 लाख का अधिक व्यय दर्शाना तथा चयनित माह मार्च-2018 के रू.1.13 लाख बिल-वाउचर प्रस्तुत ना करना ।

1. बाल विकास जिला परियोजना अधिकारी, भगवानपुर की चयनित माह की रोकड़ वही की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रो हेतु साज-सज्जा सामग्री क्रय हेतु आवंटित धनराशि रू॰19.62 लाख इकाई द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश संख्या सी-2449 दिनांक 27 मार्च 2019 के तहत मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के पी॰ एल खाते में रक्षित की गयी थी । जिस का आहरण इकाई द्वारा 25-09-2019 कर के इकाई के बैंक खाते संख्या 1333000100025480 में अंतरित कर दिया गया तथा रोकड़ वही में रू॰1962500 को 07-03-2020 को दर्ज़ करते हुए उसी दिन रू॰1962500 का व्यय भी दर्शा दिया गया । जबकी वाउचरो की जांच में पाया गया कि रू॰1962500 के सपेक्ष रू॰1304235 का व्यय निम्नलिखित दिनाकों को किया गया था ।

क्र॰ सं॰	फ़र्म का नाम	बिल सं	दिनांक	धनराशि	योग	चेक सं	दिनांक
1	मारवाड़ी बर्तन भंडार रुड़की		14-07-2020	219500	219500	866531	17-07-2020
2	न्यू डायमण्ड बुक शॉप, ज्वालापुर, हरिद्वार	679 & 735	13-07-2020 & 27-07-2020	216056 & 1092	217148	866532	28-07-2020
3	एल॰पी॰ फ़र्निचर, सिडकुल हरिद्वार	175	26-06-2020	212995	212995	866533	28-07-2020
4	क्वालिटि ट्रेडर्स, देवपुरा, हरिद्वार	22	22-07-2020	219500	219500	866534	10-08-2020
5	सरस्वती सप्लाई एजेंसी, ज्वालापुर, हरिद्वार	743 & 726	24-09-2020 & 21-09-2020	2171 & 213426	215597	866547	24-09-2020
6	न्यू जनरलसप्लाई एजेंसी, ज्वालापुर, हरिद्वार	338	23-10-2020	219495	219495	866550	28-10-2020
					1304235		

इस प्रकार रू॰ 658265 (रू॰1962500 -रू॰1304235) की धनराशि का अधिक व्यय रोकड़ वही में दर्शाया गया है और न ही लेखा परीक्षा को रू॰ 658265 की धनराशि के बिल-वाउचर प्रस्तुत किए जा सके ।

बुक कीपिंग एवं वित्त्य नियमों अनुसार रोकड़ वही में भुगतान पक्ष में व्यय/ भुगतान की प्रविष्टि उस दिनांक को ही की जाएगी जिस दिनांक को भुगतान चेक से या फिर कैश से किया गया हो ।

इस प्रकार पाया गया है कि इकाई द्वारा रोकड़ वही के रख-राखव में बुक कीपिंग एवं वित्त्य नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था ।

2. चयनित माह मार्च-2018 की रोकड़ वही की जांच में पाया गया की वाउचर संख्या 79 दिनांक 22-03-2018 को रोकड़ वही की भुगतान पक्ष में रू॰112743 दर्शाया गया है । जिस के बिल -वाउचर के बिल लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए जा सके ।

3. आगे जांच में पाया गया है कि वाउचर संख्या 93 दिनांक 24-03-2018 को रोकड़ वही की प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष में रू॰880813 दर्शाया गया है जबकि कोषागार बिल में रू॰830813 दर्शाया गया है। रोकड़ वही एवं कोषागार बिल के अंतर को लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करें ।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा किरोकड़ वही की जांच कर अंतिम अवशेष का मिलान कर रोकड़ वही को सही कर लिया जाएगा । बिल-वाउचर को प्राप्त कर लेखापरीक्षा को शीघ्र ही पस्तुत कर दिया जाएगा तथा भुगतान की समीक्षा कर रोकड़ वही को सही कर लिया जाएगा ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतःरोकड़ वही की अनियमितताओं का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर सं 1- महिला शक्ति केन्द्र योजना के तहत रु.27.92 लाख का उपयोग न कर विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता तथा योजना के उद्देश्यो की पूर्ति कापूर्ण न होना।

महिला शक्ति केन्द्र योजना भारत सरकार द्वारा पोषित योजना वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ है । लेकिन उत्तराखंड में इस योजना का कार्यान्वयन 2018-19 से शुरू हुआ । इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें । योजना के तहत महिलाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार,डिजिटल साक्षारता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर भी प्राप्त होंगे ।

इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारो को प्राप्त करने के लिए कड़ियाँ प्रदान करती है तथा जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के द्वारा सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करती है ।

महिला शक्ति केन्द्र योजना के द्वारा नयी योजनाओ पर विभिन्न स्तरों पर कार्य करने कि कल्पना की गयी है राष्ट्रिय स्तर और राज्य स्तर पर महिलाओं के मुद्दों पर संसाधन केन्द्र (ResourceCentre)तैयार की जाएंगी जो की टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेंगी ।

जिला और ब्लॉक स्तर के केन्द्रो पर महिला सशक्तिकरण के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा । 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित महिला सशक्तिकरण की योजनाओ को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए आधार प्रदान किया जाएगा

समुदाय की भागीदारी के लिए छात्र स्वयं सेवको की मदद से 115 बैकवर्ड ज़िलो में ब्लॉक स्तरों पर पहल की गयी है ।

इस योजना में छात्र स्वयं सेवको का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी । छात्र स्वयं सेवको की मदद से ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओ और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे महिलाए सरकारी योजनाओ का अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगी ।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि महिला शक्ति केन्द्र योजना के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग, हरिद्वार को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार द्वारा DLCW, Haridwar को रू॰485000 तथा BLCW, Haridwar को रू॰4714664 की धनराशि आवंटित की गयी थी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. NMEW/50/2018-ADMIN(NMEW){e-office-47853/50 दिनांक 13 सितंबर 2019 के क्रम में DLCW, Haridwar को रू॰130000 तथा BLCW, Haridwar को रू॰5893336 की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

पुनः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड के पत्र संख्या 425/303/WECD/2019-20 दिनांक 26 सितंबर 2019 के क्रम में DLCW, Haridwar को रू॰50000 तथा BLCW, Haridwar को रू॰900000 की धनराशि आवंटित की गयी थी । इस तरह पाया गया की वर्ष 2019-20 तक कुल आवंटन रू॰12173000 था ।

आगे जांच में पाया गया की मार्च 2020 के अंत तक DLCW, Haridwar द्वारा कुल आवंटन रू॰665000 के सापेक्ष रू॰629598 पाया गया।

की धनराशि ही उपयोग कर पायी तथा 6 BLCW, Haridwar जिन का विवरण निम्न है MSK-Block Laskar, MSK-Block Roorkee, MSK-Block Badrabad-II,MSK-UC Bhagwabpur, MSK-Block Khanpur,MSK-UC Narsan द्वारा कुल आवंटन की धनराशिरू॰11508000 के सापेक्ष में रू॰8750920 की धनराशि ही उपयोग कर पायी । इस तरह कुल आवंटन की धनराशिरू॰12173000 के सापेक्ष में रू॰9380518 की धनराशि ही उपयोग ही हो पाया तथा रू॰2792482 की धनराशि विभाग में अवरुद्ध पड़ी हुई थी ।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्य एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में कहा कि रू॰93॰81 लाख की धनराशि के बिल-वाउचर प्रस्तुत नहीं किया जा सकते क्योकि बिल-वाउचर परियोजना स्तर पर ही उपलब्ध है तथा योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सकतेहै तथा रू॰27.92 लाख की धनराशि परियोजना स्तर में अवरुद्ध पड़ी हुई थी जिस के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी तथा MSK-Block Laskar द्वारा आवंटन का पूर्ण उपभोग न किए जाने के कारण इस वर्ष लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः महिला शक्ति केन्द्र योजना के तहत रु॰27.92 लाख का उपयोग न कर विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन में शीथलता तथा योजना के उद्देश्यो की पूर्ति का पूर्ण न होनेका प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 2:- पीएमएमवीवाई के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियो को रू. 1,53,000/- का भुगतान।

1.1 भारत मे अधिकांश महिलाओ को आज भी अल्प पोषण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। भारत मे हर तीसरी महिला अल्प पोष्ट है तथा दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है। आर्थिक एवं सामाजिक तंगी के कारण कई महिलाए अपनी गर्भावस्था के आखिरी दिनो तक अपने परिवार के लिए जीविका अर्जित करना जारी रखती है। इसके अलावा, वे बच्चे को जन्म देने के बाद वक्त से पहले काम करना शुरू कर देती है, जबकि उनका शरीरी इसके लिए तैयार नहीं होता। इस प्रकार व एक तरफ अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोकती है और पहले छः माह मे अपने नौनिहालों को अनन्यस्तनपान कराने की अपनी सामर्थय मे भी बाधा पहुचाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए थे-

1.1 राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसरण मे देश के सभी जिलो मे 01 जनवरी 2017 से मातृतव लाभ कार्यक्रम लागू हो गया है। इस कार्यक्रम का नाम "प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना" रखा गया है।

1.2 "प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना" के अंतर्गत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट शर्तो की पूर्ति पर परिवार से पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओ एवं स्तनपान करने वाली महिलाओ के खाते मे सीधे रू. 5000/- की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी।

2.1 पीएमएमवीवाई के उद्देश्य:

2.1.1 मजदूरी की क्षति के बदले मे नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप मे आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाये पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद मे प्रयाप्त विश्राम कर सके।

2.1.2 प्रदान की गयी नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओ एवं स्तनपान कराने वाली माताओ मे स्वास्थ्य मे सुधार होगा।

2.2 लक्षित लाभार्थी

2.2.1 ऐसी गर्भवती महिलाओ एवं स्तन पान करने वाली माताओ को छोडकर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारो या सार्वजनिक उपक्रमो के साथ नियमित रोजगार मे है या जो वर्तमान मे लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाये एवं स्तनपान कराने वाली माताए।

2.2.2 सभी पात्र गर्भवती महिलाए एवं स्तनपान कराने वाली माताए को परिवार मे पहले बच्चे के लिए को 01.01.2017 या इसके बाद गर्भवती हुई है।

2.2.3 लाभार्थीके लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना एमसीपी कार्ड मे यथाउल्लिखित उसकी पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जायेगी।

2.2.4गर्भपात/मृत जन्म का मामला

i-लाभार्थी योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्तकरने के पात्र है।

ii- गृभपात/मृत जन्म के मामले मे लाभार्थी किसी भावी गृभधारण की स्थिति मे शेष किस्त का दावा करने के लिए पात्र होंगे।

2.4 गर्भवती महिलाये एवं स्तनपान कराने वाली माताए नीचे दी गई सारणी मे यथा निर्दिष्ट निम्नलिखित चरणों पर तीन किस्तों मे 5000/- रुपए का नकद लाभ प्राप्त करेगी:

किस्त	शर्ते	राशि
पहली किस्त	गर्भधारण का शीघ्र से पंजीकरण कराने पर।	1000/-
दूसरी किस्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर। (गर्भधारण के 6 माह बाद इसका दावा किया जा सकता है)	2000/-
तीसरी किस्त	- बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर। - बच्चे ने बीसीजी,ओपीवी, डीपीटी तथा हेपेटाईटिस बी या इसके समतुल्य/ एवजी का पहला चक्र का टीका करवाने पर।	2000/-

लेखापरीक्षित इकाई जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, हरिद्वार के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं हरिद्वार शहर व रुड़की- प्रथम के पीएमएमबीवाई के अंतर्गत आवेदन पत्रों की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

1. आवेदन पत्रों की नमूना जांच में पाया गया कि योजना में 01.01.2017 से पूर्व गर्भवती महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया गया था जो कि निर्देशों के बिन्दु 2.2.2 के विपरीत था। नमूना जांच में ऐसे लाभार्थियों कि संख्या बाल विकास परियोजना, रुड़की प्रथम में 18 थी व हरिद्वार शहर में 01 पायी गयी। (सूची-A)
2. योजना के निर्देशों के बिन्दु 2.2.3 के अनुसार लाभार्थी का एमसीपी कार्ड बनाया जाएगा जिसमें एलएमपी व गर्भधारण कि तिथि अंकित कि जाएगी। आवेदनों कि नमूना जांच में पाया गया कि आवेदनों पत्रों के साथ एमसीपी कार्ड संलगन नही था। नमूना जांच में ऐसे लाभार्थियों कि संख्या बाल विकास परियोजना रुड़की प्रथम(ग्रामीण) में 02 थी व हरिद्वार शहर में 01 पायी गयी। (सूची-B)

3. आवेदन पत्रों कि नमूना जांच में पाया गया कि एमसीपी कार्ड कि गर्भवस्था का विवरण में चौथी पंक्ति पर कुल गर्भ/ पहले जीवित बच्चे कि संख्या पर काँट छाँट एवं over hand writing होने के कारण एमसीपी कार्ड में दर्ज सूचना कि विश्वसनीयता को संदेहहास्पद बनाता था। नमूना जांच में ऐसे लाभार्थियों कि संख्या बाल विकास परियोजना, रुड़की प्रथम में 06 थी व हरिद्वार शहर में 02 पायी गयी। (सूची-c)
4. आवेदन पत्रों कि नमूना जांच में पाया गया कि कुछ आवेदन पत्र पर न तो लाभार्थी के हस्ताक्षर थे और न ही उस के पति के हस्ताक्षर थे जो योजना के नियमों के अनुकूल नही था। (बिन्दु 2.2.1)(सूची-D)
5. आवेदन पत्रों कि नमूना जांच में पाया गया कि योजना के तहत लाभार्थी के रोजगार से संबन्धित कोई भी सूचना आवेदन पत्र पर दर्ज नही कि गयी थी अर्थात यह पता नही चल रहा था कि लाभार्थी क्या कार्य/व्यवसाए कर रहा था जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि लाभार्थी को गर्भवस्था के दौरान कितनी धनराशि (मजदूरी) कि क्षति हुए है। (बिन्दु 2.1.1)(सभी संलगन आवेदन पत्र)

सपष्ट था कि इकाई द्वारा अपात्र लाभार्थियों को 1,53,000/- का भुगतान किया गया था।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा अपति कि पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

सूची-A

01.01.2017 के बाद गर्भवती (हरिद्वार शहर)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	काजल त्यागी	338910048463	5000/-
	योग		5000/-

01.01.2017 के बाद गर्भवती (रुड़की प्रथम, ग्रामीण)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	रानी	858402855198	5000/-
2	संदेश सैनी	423555272131	5000/-
3	सोनिया	275533806596	5000/-
4	शिलु शर्मा	741486865362	5000/-

5	पुजा	960165965015	5000/-
6	कुसुम	618864631692	5000/-
7	ज्योति	732025497422	5000/-
8	सपना	914385165791	5000/-
9	मीनाक्षी कश्यप	630784466254	5000/-
10	संध्या भट्ट	716311009674	5000/-
11	साक्षी	480740215399	5000/-
12	सोनम रानी	769820062534	5000/-
13	अंजलि मिटल	594075382937	5000/-
14	शिवानी त्यागी	695593548448	5000/-
15	नीतू ओली	750832697476	5000/-
16	सीमा रानी	880868724419	5000/-
17	उपासना गोयल	974828568649	5000/-
18	कविता	915489850669	5000/-
योग			90,000/-

सूची-B

MCP कार्ड नही (हरिद्वार शहर)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	वृतिका	892048067676	5000/-
	योग		5000/-

MCP कार्ड नही (रुड़की प्रथम)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	प्रभा गोस्वामी	227210692179	5000/-
	काजल	201541037469	5000/-
योग			10,000/-

सूची-C

काँट छाँट/ संदिग्ध (हरिद्वार शहर)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	अफशा	739373590720	5000/-
	हिमानी	715493534056	5000/-
योग			10,000/-

काँट छाँट/ संदिग्ध (रुड़की प्रथम)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	अनीता पंत	831106994689	5000/-
2	सोनिया	639478383463	5000/-
3	नेहा	492757832634	5000/-
4	अर्चना	948568584449	3000/-
5	रवीना	548102304531	5000/-
6	सोनाली नेगी	477862380557	5000/-
योग			53,000/-

सूची-D

पति के हस्ताक्षर नही(रुड़की प्रथम)

क्रं0 सं0	नाम	आधार संख्या	प्रदान की गयी धनराशि रु
1	रूबी	676152032136	5000/-
2	शिलु शर्मा	741486865362	-
3	कुसुम	618864631692	-
4	ज्योति	732025497422	-
5	सपना	914385165791	-
6	मीनाक्षी कश्यप	630784466254	-
7	अंजलि मिटल	594075382937	-
8	नीतू ओली	750832697476	-
9	सीमा रानी	880868724419	-
10	अनीता पंत	831106994689	-
11	रानी	858402855198	-
योग			5000/-

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**
92/2017-18	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 और 05

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
92/2017-18	भाग दो-2 (ब) प्रस्तर संख्या-01से 05	अप्रस्तुत	यथावत	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालयजिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास हरिद्वार,उत्तराखण्ड**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलम्ब किया गया अधिकांश सूचनाएँ समय से प्राप्त नही हुई इसी कारण कार्य समय से पूर्ण नही हो सका। लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख:

   (i) लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख: विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या।

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	सुश्री शैली प्रजापति	जिला कार्यक्रम अधिकारी	10.09.2017 से 06.12.2017 तक
2.	श्री अखिलेश शुकला	बा0वि0परि0 अधिकारी	07.12.2017 से 01.01.2018 तक
3.	श्री मुकुल चौधरी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	01.01.2018 से 06.06.2019 तक
4.	सुश्री सुलेखा सहगल	बा0वि0परि0 अधिकारी	07.06.2019 से 10.07.2019 तक
5.	श्री मुकुल चौधरी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	11.07.2019 से 13.01.2020 तक
6.	श्री धर्मबीर सिंह	बा0वि0परि0 अधिकारी	13.01.2020 से 27.01.2020 तक
7.	श्री मुकुल चौधरी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	28.01.2020 से 16.07.2020 तक
8.	श्री देव सिंह	बा0वि0परि0 अधिकारी	17.07.2020 से 16.08.2020 तक
9.	सुश्री भारती तिवारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	17.08.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालयजिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास अधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,महालेखाकार भवन, कौलगढ़, देहारादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I